(3)

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट 2018

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत प्रतापपुरा प्रार्थना–पत्र सं. 160/2015 **उनवान** रामनिवास बनाम शिवचन्द प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी. एक्ट	राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान–2018
14.06.2018	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी मे से कोई भी उपस्थित नही आया। पत्रावली का न्यायालय मत पर अवलोकन किया गया। अनावेदकगण की तलबी जरिये रजिस्ट्रेड डाक से दिनांक 06.01.2016 को करवाई जानी पत्रावली मे संलग्न रसीदो से जाहिर होता है इस दौरान ना तो अनावेदकगण स्वयं व ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ। प्रकरण की विलम्बता को देखते हुए अनावेदकगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर इस न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.12.2015 को ताः फैसला दावा तक बढाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला दावा पाबंद किया जाता है कि वे भूमि हाल खसरा न. 168/231 रकबा 1.042 हैक्टर वाके ग्राम आर्दश नगर (सेडु की ढाणी) मे से प्रार्थी का खेत खसरा न. 145 ग्रम आर्दश नगर सेडु की ढाणी आने जाने के रास्ते को खसरा न. 168/231 मे निर्माण व खड्डे खोदकर अवरूद्ध न करें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अलका बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राजस्थान)	

Scanned by CamScanner